बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)।

मंगलवार, तिथि १८ दिसम्बर, १९७३

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर : सभा-नियमावली के नियम ४ (२) के परन्तुक के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभामेज पर रखा जाना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ६६, ६७, ६८ एवं ६९ — २—१०

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या। १४४, १४६, १४७, १५०, १५१, ६२८, ६६१, ६७४, एवं ६७५। — ११—४१

परिशिष्ट १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : — ४२—९३

परिशिष्ट—२ तारांकित प्रश्न संख्या १५० से सम्बद्ध-सूची। — ९४

परिशिष्ट—३ षष्ठ बिहार विधान सभा के षष्ठ सत्र के ५५ अनागत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा मेज पर रखे गये। — ९५—१७८

परिशिष्ट—४ षष्ठ बिहार विधान-सभा के षष्ठ सत्र के १४२ अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा मेज पर रखे गये। — १७९—४१७

परिशिष्ट—५ षष्ठ बिहार विधान-सभा के षष्ठ सत्र के ३९ अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा मेज पर रखे गये। — ४१८—४७०

दैनिक निबंध — ४७१-४७२

प्रधानाध्यापक पर आरोप

६६४। **श्री टीका राम मांझी**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिंहभूमि जिला के घाटशिला प्रखण्डान्तर्गत बडाजुडी ग्राम पंचायत के मुखिया तथा ग्राम वासियों ने दिनांक ३२-८-७३ को बडाजुडी यूपी० स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री शिवनारायण सिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक, सिंहभूम चाईवासा को तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिंहभूम को दिया है, यदि हाँ तो उक्त अभियोगों की जाँच अभी तक नहीं करने का क्या औचित्य है तथा सरकार कब तक इसकी जाँच कराने का विचार रखती है यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—यह सही है कि बाड़ाजूरी ग्राम पंचायत के मुखिया तथा ग्रामवासियों ने तिथि ३१-८-७३ को उच्च प्राथमिक विद्यालय, बड़ाजूरी के प्रधानाध्यापक श्री शिवनारायण सिंह के विरुद्ध जिला शिक्षा अधीक्षक, सिंहभूम के पास एक अभियोग पत्र भेजा जो अधीक्षक के कार्यालय में सितम्बर, ७३ में प्राप्त हुआ।

जिला शिक्षा अधीक्षक, सिंहभूम ने विद्यालय उप निरीक्षक घाटशिला से जाँच प्रतिवेदन की मांग की है, पर जाँच प्रतिवेदन अभी तक उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रसंग में निदेशालय से भी शीघ्र जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर कारवाई करने का निदेश दिया गया है। विलम्ब के स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है।

बहाली में अनियमितता

६६५। **श्री रामचन्द्र पासवान**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों की बहाली में अनियमितता वर्ती है;

(२) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हेतु अक्टूबर, ७३ में जो लिस्ट बनायी गयी उसके आधार पर ७० के अप्रशिक्षित हरिजन एवं उर्दू अभ्यार्थियों की नियुक्ति हुई परन्तु श्री कुशेश्वर पासवान एवं श्री जगदीश रजक जिनके क्रमांक उक्त सूची में १४ एवं १२ थे, की नियुक्ति नहीं की गयी, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री विद्याकर कवि—(१) अनियमितता का कोई दृष्टांत सरकार की नजर में नहीं आया है।